बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>::आदेश::</u>

पटना, दिनांक 06/05/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–66/2026–1570/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–2845/2026 शकुन्तला सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.02.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–19.02.2026 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"…. 7. Considering the aforesaid submissions of the parties, the petitioner is directed to file an appropriate representation, giving all details of such options, having been placed for consideration on e-shikshakosh Portal within a period of four weeks from today and, on filing of such representation, it is expected that her case shall be considered within a period of eight weeks thereafter in terms of the policy framed so that the rights of the teachers as also the students are not prejudiced in any manner. The order so passed by the authority shall also be communicated to the petitioner within the same time period.

8. With the aforesaid observation and direction, the writ petition stands disposed of …."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता ने अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन को [illegible] करने हेतु वादी को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–06.04.2026 को अपना पक्ष रखने [illegible] दिया गया । जिसमें वादी उपस्थित होकर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। जिसे विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के उपरांत आवंटित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, सिंहौना (अनु0 [illegible] [illegible]रिया, जिला–गया में कार्यरत हूँ। प्रधान शिक्षक के नियुक्ति के समय तीन प्रखण्ड [illegible] की मांग की गयी थी परंतु मांगे गए विकल्प में से कोई प्रखण्ड न देकर मुझे डु[illegible] में आवंटित किया गया। विद्यालय पहुँचने में बहुत कठिनाई के सामान करना पड़ता है [illegible] परिवार का देखभाल करने वाले मेरे अलावे कोई नहीं है। साथ ही अंकित है कि छत [illegible] कारण मेरी रीढ़ की हड्डी में समस्या के कारण ड्यूटी करना काफी कष्टकर हो रहा [illegible] किन्हीं गृह प्रखण्ड गरूआ या नजदीक प्रखण्ड में रिक्त सीटों पर स्थानांतरण किया [illegible] अपने कर्तव्य के साथ–साथ परिवार का देखभाल भी कर सकूँ।

5. अंकनीय है कि विभागीय ज्ञापांक–386 दिनांक–26.03.2025 द्वारा गठित समिति की दिनांक–01.07.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभागीय दिशा–निर्देश के अनुरूप ***Merit-cum-Choice*** के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 35334 अभ्यर्थियों को विभागयी ज्ञापांक–1837 दिनांक–01.07.2025 द्वारा जिला आवंटित किया गया। उक्त के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) श्रेणी में वरीयता क्रमांक–42303 तक के अभ्यर्थियों को गया जिला आवंटित हुआ। चूंकि वादिनी शकुंतला सिन्हा का वरीयता क्रमांक–26518 है, तदनुसार उन्हें गया जिला आवंटित हुआ।

6. तदोपरांत उक्त अभ्यर्थियों से आवंटित जिलान्तर्गत पदस्थापन हेतु तीन–तीन प्रखण्ड के विकल्प की मांग की गई एवं उक्त समिति की दिनांक–12.07.2025 को सम्पन्न बैठक में कुल 35333 सफल अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1934 दिनांक–12.07.2025 से प्रखण्ड/विद्यालय आवंटित किया गया। उक्त के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) श्रेणी में वरीयता क्रमांक क्रमशः–8017, 16886 तथा 22391 तक के अभ्यर्थियों को क्रमशः गया टाउन, बोधगया तथा परैया प्रखण्ड आवंटित हुआ। चूंकि वादिनी शकुंतला सिन्हा का वरीयता क्रमांक–26518 है, तदनुसार उन्हें डुमरिया प्रखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, सिंहौना (अनु0) आवंटित हुआ तथा वे वर्तमान में कार्यरत हैं।

7. उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य के आलोक में श्रीमती सिन्हा की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–25/2024 के माध्यम से हुई है तथा वर्तमान समय में नवपदस्थापित प्रधान शिक्षक को स्थानांतरण करने का नीति विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

अतएव प्राथमिक विद्यालय, सिंहौना (अनु0) में प्रधान शिक्षिका के पद पर पदस्थापित श्रीमती सिन्हा को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इस अभिमत के साथ उक्त वाद को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / 07 / मु0–01–66 / 2026........1570.......... पटना, दिनांक ....06/05/26....

प्रतिलिपिः– Shakuntla Sinha Wife of Sanjeev Kumar, Resident of Village-Usewa, P.O.-Baiju Bigha, P.S.-Gurua, District-Gaya, and presently working as Head Teacher in Primary School Sihauta (H.T.), Block-Dumaria, District-Gaya को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–26 / 2026......1570........ पटना, दिनांक ....06/05/26.....

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।